"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 जून 2005—ज्येष्ठ 18, शक 1927

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक 1720/13/ऊ. वि./2005.—राज्य शासन, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 54) की धारा 5 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 36) की धारा 172 (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपेक्षित कृत्यों को 9 जून, 2005 की अवधि से आगामी 6 माह तक अर्थात् 9 दिसम्बर, 2005 तक निर्वहन हेतु अधिकृत करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.